न्यायालय उपखंड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/410/2015

वउनवान

1 औमवती पत्नि स्व0 भवानीसिंह जाति राजपूत

2 राजबाला पुत्री भवानीसिंह जाति राजपूत

3 सवाई सिंह पुत्र सांवल सिंह जाति राजपूत

4 विष्णु सिंह पुत्र उदयसिंह पौत्र सांवलसिंह जाति राजपूत

5 तोफा पत्नि स्व0 देवीसिंह जाति राजपूत

6 राकेश सिंह पुत्र देवीसिंह उम्र 12 साल नाबालिग सरपस्त माता तोफा पत्नि स्व0 देवीसिंह जाति राजपूत माता स्वंय

7 चरणसिंह पुत्र मकतूलसिंह जाति राजपूत

8 शिम्भू सिंह पुत्र मकतूलसिंह जाति राजपूत

9 अजयसिंह पुत्र मेघसिंह पौत्र मकतूलसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम गंजपूर तह0 कठूमर जिला अलवर ————सायलान

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्ट्रर अलवर

2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर
————गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

श्री देवेन्द्र सिंह नरुका : वकील सायलान

पैरोकार सरकार :गैरसायलान की ओर से

आदेश

दिनॉक 11/2/19

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि साबिक आराजी खसरा न. 212 मिन रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा न. 353 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गंजपुर तह0 कठूमर में स्थित है। सायलान ने अपने परिवार का सजरा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित किया है। सायलान के वालिद भंवरसिंह थे जिनके चार लडके बजरंगसिंह, किशनसिंह लाबल्द फोत हो गये तथा गिरवासिंह के फोत हो जाने पर उनके एक लडका सावलसिंह पैदा हुए थे जो सांवलसिह फोत हो गये जिनके तीन लडके उदयसिंह भवानीसिंह भवानी सिंह व सवाई सिंह पैदा हुए हैं तथा उदयसिंह फोत हो गये जिनका एकमात्र लडका विष्णु सिंह सायल संख्या 4 है तथा भवानीसिंह सिंह फोत हो गये जिनके उनकी पत्नि ओमवती वो पुत्री राजबाला मौजुद है। भंवरसिंह का चौथा लडका हुकमसिंह था जिसके कोई संतान नही थी जिसने गणेश सिंह को गोद ले लिया और गणेश सिंह हुकम सिंह का दत्तक पुत्र है। तथा गणेश सिंह भी फोत हो गये जिनके एक लडका मकतूलसिंह पैदा हुए हैं तथा मकतूल सिंह भी फोत हो गये हैं जिनके चार लडके देवीसिंह , चरणसिंह, शिम्भूसिंह वो मेघसिंह पैदा हुआ है जिनमें देवीसिंह फोत हो गये। इस प्रकार सायलान एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा भंवरसिंह के वारिसान हैं। साबिक आराजी खसरा न. 212 मिन रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा जिसका हाल खसरा न. 353 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा (2.24 है.) बना है जो वर्तमान में ग्राम गंजपुर में स्थित है आराजी खसरा न. 212 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम नूरपुर गंजपुर के हम सायलान के वालिदान ग्राम गंजपुर के माफीदारान थे और हम सायलान के वालिदान को तत्कालीन शासन द्वारा आराजी मुतनाजा माफी मे दी गई थी जिसका इन्द्राज साबिक खसरा न.संवत 1977, 2001 , 2013, 2017, 2021 की जमाबंदी में मौजुद हैं इस प्रकार सायलान के वालिदान का नाम साबिक रिकॉर्ड में दर्ज है और उनके फोत हो जाने पर सायलान उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा सायल संख्या 1–2 ओमवती, राजबाला पुत्री भवानीसिंह, सवाईसिंह, विष्णु सिंह का आराजी खसरा ून. 353 मिन रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा में प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा है और इसी प्रकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं इसी प्रकार खसरा न. 353 मिन रकबा 3 बीघा वाके ग्राम गंजपुर पर सायलान देवीसिंह के वारिस तोफा व राकेशसिंह, चरणसिंह ,शिम्भू सिंह काबिज हैं और काश्त कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा है।उक्त साबिक खसरा न. की किस्म बंजड कदीम व गैरमुमकिन चाह थी जिसका इन्द्राज साबिक रिकॉर्ड में हैं। विवादीत आराजी पर सायलान हमेशा से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। तमाम साबिक गिरदावरी में भी इन्द्राज दर्ज है। विवादित आराजी कभी भी बंजर नही रही है बल्कि हमेशा से काबिल काश्त रही है। लेकिन बंदोबस्त विभाग के कर्मचारी व अधिकरियों ने खिलाफ कानून व खिलाफ

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

मौका विधी विरुद्व तरीके चारागाह दर्ज कर दिया। जबकि बंदोबस्त विभाग को इस तरह से इन्द्राज बदलने का कोई हक अधिकार नही था। जो इन्द्राज गलत व गैरकाननूी है। जिस गलत इन्द्राज के आधार पर गैर सायलान विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं तथा दीगर लोगों को अलोट करना चाहते हैं जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नही है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरोदों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपार हानि असुविधा व नुकसान होगा। अतः सायलान ने गैरसायूलान को दावा के निर्णय तक विवादित आराजी में शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी तरह की रुकावट व मजाहमत पैदा ना करने जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करने किसी को अलॉट ना करने हेतू स्थगन आदेश से पाबंद कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैर सायलनान की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये पैरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी हाल जमाबंदी के अनुसार गै0 मु0 चारागाह भूमि दर्ज रिकार्ड है जो खातेदारी दिये जाने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र सायलान खरिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी हाल, मिलान क्षेत्रफल, मिसल बन्दोवस्त सवत् 2028, 1977, 2001, 2009, 2013, 2017, 2021 वाके ग्राम नूरपुर, ख0गि0 संवत् 2014 ला0 संवत् 2070 से 2073 वाके ग्राम नूरपुर संवत् 2026 से 2033 निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर दिनॉक 31.12.74 नकल निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्ट्रर अलवर दिनॉक 18.12.1986 पर्ची लगान किता 9 नोटिस धारा 80 जा0दी0 रसीद पोस्ट ऑफिस किता 2 की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायलान के अपनी वहस के दौरान मुख्य रुप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी सायलान के वुजुर्गानी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर पहले सायलान के वुजुर्ग काविज रहकर काश्त करते थे उनके मरने पर सायलान काविज रहकर काश्त कर रहे हैं। वन्दोवस्त विभाग के अधिकारियान व कर्मचारियान ने विवादित आराजी को चारागाह दर्ज कर दिया है। अतः पुराने इन्द्राज के आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र सावित है जो स्वीकार कर गैरसायलान को पाबंद किया जावे।

पैरोकार सरकार ने वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है। जिसकी खातेदारी नही दी जा सकती। विवादित भूमि सरकारी भूमि है। सायलान को किसी तरह का नुकसान व क्षति नही होती है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुस राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता सायलान व पैरोकार सरकार की वहस पर मनन किया। सायलान को अपने को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुओ को अपने पक्ष में सावित करना है:

1 प्रथम द्रष्टा केस

2 सुविधा का सन्तुलन

3 ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायलान की वहस पर मनन किया। सायलान द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से यह सही है कि ग्राम नुरपुर गंजपुर के मिलान क्षैत्रफल में हाल खसरा नम्बर 353 रकवा 8 वीघा 17 विस्वा का साविक खसरा नम्बर 212 मिन रकवा 8 वीघा 17 विस्वा दर्ज है। तमाम साविक रेवेन्यु रेकार्ड में साविक खसरा नम्बर 212 सायलान द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक सजरा पर कोई आपत्ती नही की है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा तैयार की गयी जमाबंदी में हाल खसरा नम्बर 353 चारागाह दर्ज है। सायलान ने दावा घोषणात्मक का पेश किया है। विवादित आराजी पर सायलान का कब्जा प्रतीत होता है। मूलवाद मे सायलान के हक वो अधिकार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आने पर तय किये जावेंगे। यदि गैर सायलान ने सायल को उनके कब्जे काश्त में बाधा की या उक्त आराजी दीगर लोगों को अलॉट कर दिया तो इससे सायलान को नुकसान होना संभव है। गैरसायलान को पाबंद किया जाने से किसी तरह का नुकसान होता हो ऐसी स्थति अदालत के समक्ष नही है। प्रथम द्रष्टा केस एवं सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनो बिन्दू सायलान के पक्ष में प्रबल है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो आराजी खसरा न. 353 रकवा 2.24 है. वाके ग्राम गंजपुर तह0 कठूमर ~~में सायलान को कार्य काश्तकारी करने में रुकावट ना करें~~ के रेकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हों।

(जयसिह)
उपखंड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनॉक 11/02/2019 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिह)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखंड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner